	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	**साधिकार प्रकाशित**	***Published by Authority***
	आश्विन 15, बुधवार, शाके 1942–अक्टूबर 7, 2020 *Asvina 15, Wednesday, Saka 1942–October 7, 2020*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

उद्योग (ग्रुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जून 22, 2020

संख्या प.1(2)उद्योग/(ग्रुप-2)/2011 :-इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 15.02.2011 के द्वारा राजस्थान उद्योग निवेश संवर्धन नीति-2010 के बिंदु संख्या 7.3.11.1 के प्रावधानानुसार ''अनुमोदित अंर्तराष्ट्रीय व्यापार मेलो/प्रदर्शनियों में भाग लेने हेतु चुकाये गये ग्राउन्ड रेंट पर पुनर्भरण योजना'' लागू की गयी एवं समसंख्यक आदेश दिनांक 21.09.2011 के द्वारा योजना की गाइडलाइंस जारी की गई थी। उक्त योजना की अवधि दिनांक 31.03.2017 तक थी, इसे दिनांक 06.03.2018 को जारी अधिसूचना के द्वारा 31 मार्च 2020 तक बढ़ाया गया था। पुनः इस योजना की निरंतरता को 31 मार्च 2022 तक बढ़ाया जाता है।

योजना 31 मार्च 2022 तक प्रभावी होगी। यह अधिसूचना राजस्थान उद्योग निवेश संवर्धन नीति-2010 के बिंदु संख्या 7.3.11.1 की निरन्तरता में जारी की जाती है।

यह स्वीकृति वित्त विभाग की आईडी संख्या 102001504 दिनांक 20.03.2020 पर प्रदत्त निर्देशों के अनुसरण में जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,
शुभम चौधरी,
संयुक्त शासन सचिव।

5958
Government Central Press, Jaipur.